



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 13 अगस्त, 2025 ई०

श्रावण 22, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

संख्या:- 175 / VII-A-1 / 2025-147 ख / 2001 (69708)

देहरादून, 13 अगस्त, 2025

अधिसूचना

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 6448/स्था0-35(1)/विभा0ढांचा/भू0खनि0निदे0/2024-25, दिनांक 17.01.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में शासनादेश संख्या 3044 /VII-A-1/2023/147 ख/2001, दिनांक 16.12.2023 एवं शासनादेश संख्या 174 /VII-A-1/2024-147 ख/2001, दिनांक 14 फरवरी, 2024 द्वारा पुनर्गठित भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के वर्तमान में विद्यमान ढांचे के सन्दर्भ में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्न विवरणानुसार 18 अतिरिक्त नवीन पदों को दिनांक 28.02.2026 तक, बशर्त कि ये पद इससे पूर्व समाप्त न कर दिए जाएं, अस्थायी रूप से सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	पूर्व स्वीकृत पद	अतिरिक्त सृजित पदों की संख्या
01	02	03	04	06
1.	मुख्य रसायनज्ञ	78800-209200 (लेवल-12)	00	01
02	उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,	67700-208700 (लेवल-11)	03	02
03	प्राविधिक सहायक (भूविज्ञान),	35400-112400 (लेवल-06)	02	03

04	सहायक प्रोग्रामर/ सिस्टम आफिसर	35400-112400 (लेवल-06)	—	02
05	वरिष्ठ खनिज पर्यवेक्षक	29200-92300 (लेवल-05)	02	01
06	खनिज पर्यवेक्षक	25500-81100 (लेवल-04)	04	02
07	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	21700-69100 (लेवल-03)	29	07
कुल योग				18

2. उक्तानुसार सृजित पदों की निरन्तरता विस्तारित किए जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा यथावश्यकतानुसार प्रचलित नियमों के आलोक में कार्यवाही की जाएगी, निरन्तरता विस्तारित किए जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या 23 राजस्व पक्ष के मुख्य लेखाशीर्षक 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म, 02 खानों का विनियमन तथा विकास, 001-निर्देशन तथा प्रशासन, 03-खनन प्रशासन का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या I/321886/2025, दिनांक 17.06.2025 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
बृजेश कुमार संत,
सचिव।